



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा विपणन फर्मकार जिस्ट्रीकरण) विनयम, 2015 फार्म बी [विनयम 10 देखें]

रजिस्ट्रीकरण

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015 FORM B [See regulations 10]

REGISTRATION

समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42 डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके द्वारा "अनाश्वीशन इंश्योरेंस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड" को उपयुक्त अधिनियम के अधीन बीमा विपणन फर्म (आई एम एफ) के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रदान करता है। उक्त बीमा विपणन फर्म के लिए रजिस्ट्रीकरण कूट "आई एम एफ 186833761020190313" है।

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 42D Insurance Act, 1938 (4 of 1938) as amended from time to time, the Authority hereby grants a registration to

"Anashvision Insurance Marketing Pvt Ltd"

to act as **Insurance Marketing Firm** (IMF) under that Act. Registration Code for the Insurance Marketing Firm is "**IMF186833761020190313**"

1. उक्त बीमा विपणन फर्म (आई एम एफ) को पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता जिला में परिचालन करने की अनुमति दी जाएगी।
The IMF shall be allowed to operate in **Kolkata** district of **West Bengal** state.

2. कार्यकलापों का विस्तार:

Scope of Activities:

बीमा उत्पादों की अपेक्षा करना अथवा उन्हें प्राप्त करना Soliciting or Procuring Insurance Products	<input checked="" type="checkbox"/>
बीमा संबंधी सेवा कार्य Insurance Service Activities	
क) बीमाकर्ताओं के बैंक ऑफिस कार्य करना	<input checked="" type="checkbox"/>
a) Undertaking back office activities of insurers	
ख) बीमा रिपोजिटरियों (आईआर) का अनुमोदित व्यक्ति बनना	<input type="checkbox"/>
b) Become approved person of IRs	<input checked="" type="checkbox"/>
ग) सर्वेक्षण और हानि निर्धारण कार्य करना	
c) Undertaking survey and loss assessment work	<input checked="" type="checkbox"/>

3. यह रजिस्ट्रीकरण 21-10-2019 से 20-10-2022 तक वैध होगा।

This Registration shall be valid from 21-10-2019 to 20-10-2022.

4. यह रजिस्ट्रीकरण समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) एवं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म का रजिस्ट्रीकरण) विनयम, 2015 के अधीन है तथा इसके संबंध में यहाँ नहीं समझा जाएगा कि यह किसी अन्य अधिनियम, नियमों अथवा विनयमों के अनुपालन में अथवा उन के अनुरूप है।

This Registration is subject to the Act, as amended from time to time, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999) and Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Insurance Marketing Firm) Regulations, 2015 and shall not be construed to be in compliance with or in conformity to any other Act, rules or regulations.

स्थान : हैदराबाद

Place: Hyderabad

आदेशानुसार By Order

दिनांक/Date: 21-10-2019

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए और उनकी ओर से।

For and on behalf of Insurance Regulatory and Development Authority of India